21.5.18 पत्रावली समक्ष लोक अदालत आमंत्रित
में ग्राम सेवा केन्द्र प्रा.वि. डडालो में
पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक
अदालत समक्ष तामील ज्ञात हुए।
वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण
की सर्विस तलबी दिनांक 3.4.18
को करवाई गई थी। पंच लोक अदालत
में उपस्थित होने हेतु सूचनार्थ नोटिस
जारी किये गये जो ~~[illegible]~~ कामयूद
नोटिस तामील के वापिस नहीं होने
पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई
जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस
सुनी गई। तजवीज में प्रार्थीगण का
आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत
आदेश पृथक से लिखवाया जाकर
(हि) उत्पाद भेजा और शामिल मिसल
किया गया।
पत्रावली फैसला शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकरतफा।

आदेश

दिनांक–21.5.2018

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम डण्डाली पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी क़ी खेत खसरा संख्या 4 रकबा 24–08 बीधा व खसरा संख्या 4/1 रकबा 24–08 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्ज़ा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम **डण्डाली** पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 4 रकबा 24–08 बीधा व खसरा संख्या 4/1 रकबा 24–08 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड तलबी दिनांक 03.4.2018 को करवाई गई थी। एवं विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

नोटिस तामिल होने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम डण्डाली पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 4 रकबा 24–08 बीघा व खसरा संख्या 4/1 रकबा 24–08 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम डण्डाली पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 4 रकबा 24–08 बीधा व खसरा संख्या 4/1 रकबा 24–08 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमाये जावे।

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम डण्डाली पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 4 रकबा 24–08 बीधा व 4/1 रकबा 24–08 बीघा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2072 से 2075 से प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

5. **लिहाजा**,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम डण्डाली पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 4 रकबा 24–08 बीधा व खसरा संख्या 4/1 रकबा 24–08 भूमि के सबंध में तहसीलदार सिणधरी सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करावें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर समा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 21-5-18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner